

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र. 415 / भर्ती शाखा / 2018

दिनांक 06 / 02 / 2018

आदेश

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा सहायक श्रेणी—111 हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा—2016, दिनांक 18—19 / 12 / 2016 से प्राप्त परिणाम दिनांक 22 / 03 / 2017 एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा पात्र पाये जाने पर सहायक श्रेणी—111 के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रु. 5200—20200 + ग्रेड पे रु. 1900/- में दो वर्ष की परियोग्यता अवधि पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम '6' में उल्लेखित स्थानों पर दर्शाये अनुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम/पिता का नाम श्री	पदनाम	श्रेणी	पता	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्री नितिन राजपूत पिता श्री उमेद सिंह राजपूत	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	आजाद वार्ड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. —487551	कुलपति कार्यालय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर
2	श्री मनोज सिंह पिता श्री होम सिंह	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	वार्ड क्र. 21, पुरानी पुलिस लाइन, जिला भिंड, म.प्र. —477001	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू
3	श्री दुर्गेश सिंह राजपूत पिता श्री सोमराज सिंह राजपूत	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	वार्ड क्र. 11, जनकपुरी, एकता चौक, जिला होशंगाबाद, म.प्र. —461001	कुलसचिव कार्यालय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर
4	श्री विनय शर्मा पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	एच.नं. 213, वार्ड क्र. 11, भिंड मार्ग, पोरसा, जिला मुरैना, म.प्र. —476115	कुलसचिव कार्यालय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर
5	कु0 रीना रैकवार पिता श्री उमाशंकर रैकवार	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	868, साठिया कुआ, हनुमानताल वार्ड, जिला जबलपुर, म.प्र. —482001	लेखानियंत्रक कार्यालय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर
6	श्री लोकेश कुमार बोरकर पिता श्री योगीराज बोरकर	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	म.नं. 2270, लालमाटी, जिला जबलपुर, म.प्र. —482001	लेखानियंत्रक कार्यालय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर
7	श्रीमती भावना गुप्ता पिता श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	सहायक श्रेणी—111	सामान्य	बाई पास रोड, डिलौरा रघुराजनगर, जिला सतना, म.प्र. —485001	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
8	श्री भूपेन्द्र अहिरवार पिता श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार	सहायक श्रेणी—111	अ.जा.	दुर्गानगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया कैप, जिला सागर, म.प्र. —470004	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
9	श्री धीरज साहू पिता श्री गोविंद साहू	सहायक श्रेणी—111	अ.पि.व.	शिवाजी वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर, म.प्र. —470229	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
10	श्री आशीष सोनी पिता श्री राजेन्द्र सोनी	सहायक श्रेणी—111	अ.पि.व.	215 / 1, शंकर कॉलोनी, गोल पहाड़िया, लष्कर, जिला ग्वालियर, म.प्र. —474001	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा

क्रमशः.....2

11	श्री राजीव राठौर पिता श्री मुकेश राठौर	सहायक श्रेणी— ।।।	अ.पि.व.	ग्राम—सुरवाया, जिला षिवपुरी, म.प्र. —473551	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू
12	कु० प्राची यादव पिता श्री गजेन्द्र सिंह यादव	सहायक श्रेणी— ।।।	अ.पि.व.	वार्ड क्र.13, टी.टी नगर, केशव कॉलोनी, जिला मुरैना, म.प्र. —476001	कुलसचिव कार्यालय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर

सेवा शर्ते

1. उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा लोक सेवा (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है ।
 2. म0प्र0 शासकीय सेवा अस्थाई एवं अद्वैत स्थायी सेवा नियम, 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया राशि के भांति वसूलनीय होगी ।
 3. आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित पदरथ स्थान को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । अन्यथा की स्थिति में आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
 4. नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को एक माह की समयावधि में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन द्वारा स्वारथ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा । यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जावेगी ।
 5. नियुक्त किये गये उम्मीदवारों के द्वारा पूर्व में दिया गया चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र तब तक मान्य नहीं है, जब तक कि आपके गृह जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राज्य अपराध विशेष शाखा, भोपाल द्वारा यह प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होता । अतः निर्देशित किया जाता है कि नियुक्त उम्मीदवार कार्यग्रहण तिथि से 30 दिवस के भीतर चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न अनुप्रमाणन फार्म (03 प्रतियों में) के आधार पर इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी एवं संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त मानी जावेगी (संलग्न- अनुप्रमाणन फार्म) ।
 6. चयनित किये गये उम्मीदवार को एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता नहीं होगी ।
 7. इस नियुक्ति आदेश में दर्शित व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र वैध नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जावेगी । इसी तरह आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज गलत पाये जाने पर अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा, जो मान्य होगा ।
 8. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा, जो मान्य होगा ।
 9. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2005 के अधीन होगी ।
 10. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी ।
 11. चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना व उनकी सेवायें विश्वविद्यालय अथवा इसके अधीन किसी भी संस्था / ईकाई में आवश्यकतानुसार की/ली जा सकती हैं ।

// 3 //

12. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में कार्यक्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर होगा। उक्त नियुक्तियाँ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P. 5471/2015 के अधीन होगी तथा न्यायालयीन निर्णय को मान्य किया जावेगा।

कुलपति जी आदेषानुसार

कुलसचिव

पृ. क्र 416 / भर्ती शाखा / 2018

दिनांक 06 / 02 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
2. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर / महू / रीवा । कृपया चयनित उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों से सत्यापन कर छायाप्रतियां कार्यालय में जमा करावें । उम्मीदवार का उपस्थिति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय भेजना सुनिश्चित करें, ताकि वरिष्ठता सूची अद्यतन की जा सके ।
3. परीक्षा नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, चयन भवन, चिनार पार्क, भोपाल ।
4. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
6. विश्वविद्यालय स्थापना— ॥ शाखा, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर ।
7. सर्व संबंधित कार्यालय में उपस्थिति के समय आप अपने समस्त प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की छायाप्रतियां मूल अभिलेखों से सत्यापन कराके कार्यालय में जमा करावें ।
8. सुरक्षा नस्ती ।

कुलसचिव